आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित

07/3/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-58/23-24

सुशील लकडा वगैरह–बनाम–सुजीत घोष

आदेश

आवेदकगण–(1) सुशील लकडा, पिता स्व॰ तोता लकडा (2) राजन लकडा, पिता स्व॰ पीटर लकडा, सभी निवास ग्राम–कुसई बस्ती, थाना डोरण्डा, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन विपक्षी सुजीत घोष, पिता मनमोहन घोष, निवास स्थान–कुसई आत्मानन्द सिंह रोडा थाना डोरण्डा, जिला राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लौट नं०	रकवा
कुसई	222	05	226	05 कट्ठा यानी 08.26 डी०

आवेदकगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन आर०एस० खतियान में टुटग उरांव वो बुधुवा उरांव पेशरान जेगो कौम उरांव के नाम से दर्ज है। आवेदकगण अनुसूचित जनजाति के सदस्यगण हैं। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदकगण को बेदखल कर दिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया।

आवेदकगण ने अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उपरोक्त भूमि को टुटग उरांव वो बुधुवा उरांव पेशरान जेगो का नाम दर्ज है, और टुटुंग उरांव अपने पीछे (1) तुलसी उरांव (2) मादी उरांव (3) बुधुवा उरांव को छोड़ गये है। (1) तुलसी उरांव भी अपने पीछे (1)बिरसा लकडा (2)पीटर लकडा (3) बुधुवा उरांव को छोड़

7/3/24

कृ०पृ०उल्टे

गये है। पीटर लकडा अपने पीछे (1) रंजदुस लकडा (2) राजन लकडा (आवेदक) को छोड़ गये है। मादी उरांव भी अपने पीछे (1) बिरसा उरांव (2) तोता लकडा को छोड गये है। तोता लकडा भी अपने पीछे (1) सुधीर उरांव (2) सुशील लकडा (आवेदक) को छोड़ गये है। आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज है। विपक्षी जबरन वर्णित भुमि पर दखलकार है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण के पक्ष में वर्णित भुमि को भु–वापसी का आदेश पारित किया जाय।

विपक्षी सुजीत घोष ने न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित ब्यान में कहीं है कि वर्णित भूमि वर्ष 1941 ई॰ में अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा ने तुलसी उरांव, मादी उरांव पिता टुटुंग उरांव, वो मथु उरांव, गिलु उरांव पिता बुधवा उरांव से हासिल किया गया है, और मकान बनाकर सपरिवार निवास करते चले आ रहे हैं, मकान निमार्ण के पश्चात नगर निगम राँची नगर निगम से होल्डिंग कराकर टैक्स का भुगतान करते चले आ रहें है। वर्ष 1963 ई० में मुंसिफ,राँची के न्यायालय में स्वत्व वाद सं०–313/1963 अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा बनाम तुलसी उराँव वगैरह के नाम से दायर किया गया। सक्षम न्यायालय ने उभय पक्षों के सुनने के बाद मौजा–कुसई, थाना सं०–222, खाता सं०–05 प्लॉट सं०–226 रकवा–66 डीसमिल भूमि का आदेश दिनांक–09.07.1963 को पारित किया। अखिलेश्वर प्रसाद ने वर्णित भूमि को संतोष पुरी पत्नी श्री कुलवंत सिंह को बिक्री हस्तांरित कर दिया, फिर संतोष पुरी ने भी वर्णित भूमि दिनांक–14.3.1975 को कामता प्रसाद, पिता कृष्णा कुमार सिंह को बिक्री दस्तावेज सं० 5003 के माध्यम से बिक्री हस्तान्तरित कर दिया। कामता प्रसाद ने भी वर्णित भूमि दिनांक–09.9.1976 को रविन्द्र चन्द्र घोष, पिता स्व० राय मोहन घोष को बिक्री दस्तावेज सं० 7245 के माध्यम से बिक्री हस्तान्तरित कर दिया। तत्पश्चात रविन्द्र चन्द्र घोष ने भी वर्णित भूमि की मध्ये रकवा–01½ कट्ठा 150 वर्गफीट दिनांक–14.8.1985 को विपक्षी सुजीत कुमार घोष को बिक्री दस्तावेज सं० 8525 के माध्यम से बिक्री हस्तान्तरित कर दिया। बिक्री हस्तान्तरित होने के बाद से विपक्षी अपने से दाखिल खारिज कराकर शांति पूर्वक दखलकार है। सक्षम न्यायालय के द्वारा

पारित आदेश के विरूद्ध में आवेदकगण के पूर्वज किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं किये है। आवेदकगण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दायर वाद समय के बिन्दु पर कालबाधित है। चूंकि भूमि का वास्तविक अंतरण वर्ष 1941 में किया गया है, जबकि आवेदकगण भूमि वापसी के लिए वर्ष 2023 में वाद दायर किये है। अंतरण की तिथि से लगभग 80 वर्षो के बाद यह वाद दायर किया गया है, जो किसी भी आधार पर पोषनीय नहीं है। हस्तान्तरित की तिथि से विपक्षी सपरिवार उक्त भूमि पर अपना मकान बनाकर शांति पूर्वक दखलकार है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक गण का आवेदन को खारिज किया जाय, एवं विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया जाय।

उभय पक्ष की ओर से न्यायालय में गवाह प्रस्तुत किया गया साथ गवाही का प्रतिपरीक्षण भी किया गया। आवेदक की ओर गवाह सं०–1 सुशील लकडा एवं गवाह सं०–2 राजन लकडा ने अपने ब्यान में कहते है कि कि इस वाद में आवेदक हूँ, और खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी है, विपक्षी 1941 से घर बनाकर रहते चले आ रहें है, तथा वर्णित भूमि के संबंध में सब–जज के न्यायालय में वर्ष 1963 में टाईटल सूट का केस हुआ था, इस बात की जानकारी नहीं है और मुकदमें का फैसला किसके पक्ष में आया यह भी जानकारी नहीं है। विपक्षी के द्वारा नाजायज तरीके से भूमि पर मकान का निर्माण किया गया है। संतोष पुरी का पहले एक छोटा मकान था और बाकी जमीन उसका बगान था। 1941 में ही जमीन बिक्री हो गया, इसकी जानकारी नहीं है। मेरे द्वारा 70–75 वर्षो के बाद वाद दायर किया गया है। गवाह सं०–3 कुलदीप लकडा ने अपने ब्यान में कहते है कि आवेदक गण खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी गण है, यह वाद में आवेदक गण के द्वारा किया गया है, खतियानी रैयत के और भी उत्तराधिकारी गण है, उनके द्वारा वाद दायर नहीं है। विपक्षी भूमि पर मकान का मेरे होश संभालने से ही देख रहा हूँ, टाइटल सुट हुआ है, नहीं सुना। जमीन की बिक्री 60–70 वर्ष पहले हो चुका है, इस संबंध में जानकारी नहीं है। विपक्षी की ओर गवाह सं०–1 सुजीत कुमार घोष स्वयं विपक्षी ने अपने ब्यान में कहते है कि आवेदकगण परेशान करने के नियत से यह वाद किया है। वर्ष 1941 में बिक्री कर दिये थे,

कृ०पृ०उल्टे

न्यायालय में वर्ष 1963 में श्रीमान् मुंसिफ के न्यायालय में स्वत्व वाद दायर हुआ था, और अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा के पक्ष में फैसला हुआ। विभिन्न निबंधन दस्तावेज के द्वारा भूमि की बिक्री हस्तान्तरण किया गया। भूमि पर मकान का निर्माण किया गया है। यह वाद 80 वर्षो के बाद किया गया है। गवाह सं०–2 प्रतीक कुमार सिंह ने अपने ब्यान में कहते है कि आवेदकगण परेशान करने के नियत से विपक्षी पर यह वाद किया है। वर्ष 1941 से घर बनाकर रहते है, तथा होल्डिंग टैक्स भी अदा करते है। न्यायालय में वर्ष 1963 में श्रीमान् मुंसिफ के न्यायालय में स्वत्व वाद दायर हुआ था, और अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा के पक्ष में फैसला हुआ, जो विपक्षी के पक्ष में फैसला आया। अभी विपक्षी सुजीत कुमार घोष का मकान है। गलत वाद दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुना गया। गवाहों के गवाही एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस वाद को आदेश पर रखा गया।

उभय पक्षों के द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विवादित भूमि आर०एस० खतियान में टुटग उरांव वो बुधुवा उरांव पेशरान जेगो के नाम से दर्ज पाया गया है। आवेदकगण अनुसूचित जनजाति के सदस्यगण, तथा खतियान रैयत के वंशज में आते हैं, तथा वर्ष 1963 ई० में मुंसिफ, राँची के न्यायालय में स्वत्व वाद सं०– 313/1963 अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा बनाम तुलसी उराँव वगैरह के नाम से दायर किया गया। सक्षम न्यायालय ने उभय पक्षों के सुनने के बाद दिनांक– 09.07.1963 को आदेश पारित किया। विभिन्न निबंधन दस्तावेज के द्वारा भूमि की बिक्री हस्तान्तरण किया गया। तत्पश्चात विपक्षी को मध्ये रकवा–01½ कट्ठा 150 वर्गफीट हस्तान्तरित हुआ और मकान बनाकर सपरिवार निवास करते चले आ रहे है। मकान का राँची नगर निगम से होल्डिंग कराकर टैक्स का भुगतान करते चले आ रहें है। आवेदकगण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दायर वाद समय के बिन्दु पर कालबाधित है। प्रश्नगत भूमि का अंतरण की तिथि वर्ष 1941 है, आवेदकगण के द्वारा लगभग 80 वर्षो के बाद भू–वापसी का यह वाद दायर की गयी है। जबकि छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के धारा–71"A" के अन्तर्गत आवेदन

17/3/24

कृ०पृ०उल्टे

30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जानी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना, रांची बेंच के द्वारा प्रकाशित फैसला–C.W.J.C.No.-645/1979(R)मिटकु कोईरी बनाम बिहार सरकार एवं जगेश्वर तेली बनाम बिहार सरकार (1994)(1) पी०एल०जे०आर०पृ०–91, लुकस खरीया बनाम बडाईक बहादुर सिंह 2005(3) जे०सी०आर० पृ०–132 का हवाला दिया गया। इस सभी फैसलों में माननीय पटना उच्च न्यायालय, राँची बेंच एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची ने यह व्यवस्था दी है कि धारा–71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जा सकती है, एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का Civil Appeal Nos. 2414-15 of 1999 Situ Sahu & Ors-vrs- State of Jharkhand के आदेश दिनांक–10.09.2004 को निम्न आदेश पारित है–Chhotanagpur Tenancy Act, 1908, Section 71-A and 71-B Limitation Act, 1963, Article 65-Restoration of land To the members of Scheduled Tribe and Khatiyani holders-Sustainability of-Power under Section 71-A could have been exercised only within a reasonable time-Exercise of powers after lapse of 40 year against the period of limitation of 30 years under the Limitation Act-Not a reasonable time for-Application for restoration not maintainable वर्तमान वाद में भी आवेदन समय–सीमा के अन्दर दायर नहीं की गई है।

अतः माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विपक्षी द्वारा दाखिल साक्ष्य के आधार पर आवेदकगण का आवेदन काल–बाधित है। प्रश्नगत भूमि पर 71"A" लागू नहीं होता है। अतः आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.07 16:33:37 +05:30
Location: 192.168.51.134

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।